"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2013—भाद्र 8, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2013

क्रमांक ई 01 -01/2013/एक/2.—श्री नीरज कुमार बंसोड़, भा.प्र.से. (सी.जी. 2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री जयप्रकाश मौर्य, भा.प्र.से. (सी.जी. 2010), अनुविभागीय अधिकारी, जशपुर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर को केवल अनुविभागीय अधिकारी, जशपुर के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

जिला कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, जशपुर के प्रभार हेतु जिले में पदस्थ किसी अन्य समकक्ष अधिकारी को अपने स्तर से पदस्थ करेंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

3. सुश्री रानू साहू, भा.प्र.से. (सी.जी. 2010), अनुविभागीय अधिकारी, बैकुंठपुर, जिला-कोरिया तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया को केवल अनुविभागीय अधिकारी, बैकुंठपुर, जिला-कोरिया के पद से मुक्त किया जाता है.

4. श्री सारांश मित्तर, भा.प्र.से. (सी.जी. 2010), अनुविभागीय अधिकारी, पेण्ड्रा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5. श्री भूरे सर्वेश्वर नरेन्द्र, भा.प्र.से. (सी.जी. 2011), सहायक कलेक्टर, जिला बस्तर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अनुविभागीय अधिकारी, पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

6. श्री चंदन कुमार, भा.प्र.से. (सी.जी.: 2011) सहायक कलेक्टर, जिला बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अनुविभागीय अधिकारी, बस्तर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

7. श्री दीपक सोनी, भा.प्र.से. (सी.जी.: 2011), सहायक कलेक्टर, जिला रायगढ़ को आगामी आदेश पर्यन्त अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली, जिला-महासमुंद के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2011), सहायक कलेक्टर, जिला राजनांदगांव को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अनुविभागीय अधिकारी, सारंगढ़, जिला-रायगढ़ के पद पर पदस्थ किया जाता है.

9. श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. (सी.जी.: 2011), सहायक कलेक्टर, जिला रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अनुविभागीय अधिकारी, मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया के पद पर पदस्थ किया जाता है.

मनेन्द्रगढ़ में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी को कलेक्टर अपने स्तर से जिले में रिक्त अनुविभागीय अधिकारी अथवा जिला कार्यालय में समायोजित करेंगे.

10. श्री भोस्कर विलस सन्दीपन, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2011), सहायक कलेक्टर, जिला सरगुजा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सहायक कलेक्टर, जिला-कबीरधाम के पद पर पदस्थ किया जाता है.

था रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्रमांक ई 1-1-2013/1/2.—श्री एन बैजेन्द्र कुमार, भा प्र से. (सीजी : 1985), प्रमुख सचिव, मान. मुख ंत्री, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, प्रमुख आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली तथा प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग वि को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ प्रमुख सचिव, वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री सुनील कुमार कुजूर, भा.प्र.से. (सीजी : 1986) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. एवं पदेन प्रमुख स व, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन कार्य हेतु) तथा प्रमुख सचिव, वन विभाग को केवल प्रमुख सचिव, वन विभाग के प्रभार मुक्त किया जाता है.

3. श्री अमिताभ जैन, भा.प्र.से. (सीजी : 1989) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में क ार ग्रहण करने के उपरांत अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा सचिव, वन विभाग के पद पर पदस कया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के से तथा आदेशानुसार,
नेल कुमार, मुख्य सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्रमांक एफ-7-12/सात-1/2013.—छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्र. 7 सन् 2004) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिकारी को, अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लिखित क्षेत्र के लिए, उक्त अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत तथा नियुक्त करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

सरल क्रमांक (1)	अधिकारी का पदनाम (2)	क्षेत्र की अधिकारिता (3)
1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़, जिला रायगढ़.	रायगढ़ अनुभाग का सम्पूर्ण क्षेत्र

No. F-7-12/7-1/2013.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User Appoints in Land) Act, 2004 (Number 7 of 2004), the State Government hereby, authorises and appoints the following officer specified in column (2) of the Schedule as Competent Authority under the said Act, for the area as mentioned in column (3) of the Schedule below, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Designation of Officer (2)	Jurisdiction on the Area (3)
1.	Sub Divisional Officer (Revenue) Raigarh, District Raigarh.	Entire area of the Raigarh Sub Division.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रकांत उइके, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 सहपठित कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 31-07-2012 द्वारा डॉ. एस. पी. शर्मा, प्रबंध संचालक, छ.रा. विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित को छ.रा. विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के प्रबंध संचालक, के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

2. डॉ. एस. पी. शर्मा, की संचालक व प्रबंध संचालक, छ.रा. विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के पद पर पुनर्नियुक्ति की अवधि दिनांक 31-07-2013 को समाप्त हो रही है. अत: छ.रा. विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77(iv) के तहत डॉ. एस. पी. शर्मा को छ.रा. विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के संचालक एवं प्रबंध संचालक, पद के अतिरिक्त प्रभार से दिनांक 31-07-2013 को कार्यमुक्त किया जाता है.

3. छ.रा. विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री अनूप कुमार गर्ग, कार्यपालक निदेशक, छ.रा. विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित को, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक, संचालक, छ.रा. विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के पद पर नियुक्त किया जाता है.

4. छ.रा. विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री अनूप कुमार गर्ग, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, छ.रा. विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के पद पर नियुक्त किया जाता है.

5. श्री अनूप कुमार गर्ग की नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 सहपठित कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 31-07-2012 द्वारा डॉ. एस. पी. शर्मा, को छ.ग. राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के संचालक एवं प्रबंध संचालक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है.

2. डॉ. एस. पी. शर्मा, की पुनर्नियुक्ति की अवधि दिनांक 31-07-2013 को समाप्त हो रही है. अत: कंपनी के अंतर्नियम की कंडिका 77(iv) के तहत डॉ. एस. पी. शर्मा, को संचालक एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के पद से दिनांक 31-07-2013 को पदमुक्त किया जाता है.

3. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-1-2013/1/2 दिनांक 30-07-2013 के अनुसार श्री सुबोध कुमार सिंह, भा.प्र.से. (सी.जी. 1997) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक व प्रबंध संचालक, छ. रा. विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. अत: छ. रा. विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 सहपठित कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री सुबोध कुमार सिंह (भा.प्र.से.) को, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक, छ.रा. विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित के संचालक एवं प्रबंध संचालक के पद का अतिरिक्त प्रभार, सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बायलरों को नीचे दर्शाये अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट/अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

क्र.	बायलर क्र.	छूट की समयावधि
1.	M.P./3555	दिनांक 23-05-13 से 22-11-13 तक (अतिरिक्त छूट)
2.	M.P./3198	दिनांक 16-06-13 से 15-07-13 तक (अतिरिक्त छूट)
3.	M.P./3210	दिनांक 28-06-13 से 27-09-13 तक (छूट)

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Raipur, the 27th July 2013

F. No. 6472/2490/XXI-B/C.G./13.—The State Government, in compliance of Order No. 397/II-2-1/2013/ Confdl./2013, Bilaspur, Dated 22nd July, 2013, of Hon'ble High Court and consequent to Order No. F 5-3/Food/2013/ 29/1630 dated 26-7-2013 of Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department, Mantralaya, Raipur, hereby, withdraws the services of Shri Ashok Kumar Pathak, Registrar, Chhattisgarh State Consumer Disputes Redressal Commission, Raipur from the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Raipur and handover the services to Hon'ble High Court of Chhattisgarh.

Raipur, the 29th July 2013

F. No. 6523/2429/XXI-B/C.G./13.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), and in consultation with the High Court of Chhattisgarh, State Government hereby, makes further amendment in the departments previous notification No. 1-1/88/XXI-B dated 10-03-1992 related to sessions division Rajnandgaon and notification No. 4824/D-1206/XXI-B/C.G./2006 dated 17-05-2006 related to sessions division Dantewada, Specifying court of Sessions under Section 3 of Prevention of Corruption Act, 1988 and appoints the Sessions Judge specified in column No. (2) of the Schedule below to be Special Judge for the local area specified in corresponding entries in column No. (3) thereof for trial of the cases exclusively relating to offences mentioned in clause (a) and (b) of the said Section with effect from the date of issuing this notification :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Special Courts (2)	Local Area/Sessions Division (3)
1.	IInd Additional Sessions Judge, Rajnandgaon	Civil District Rajnandgaon
2.	Session Judge Dantewada	Civil District Dantewada

Raipur, the 29th July 2013

F. No. 6529/2431/XXI-B/C.G./2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the concurrence of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following order, further to amend this department's previous notification, relating to the entries mentioned in column No. (2) of the Schedule, namely :—

AMENDMENT

In the schedule of the said Notification, officer mentioned in column No. (2) is posted as special Judge under section 36(2) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, at the place mentioned in column No. (3) of the said schedule, namely :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Officer (2)	Name of the District (3)
1.	Shri Jerom Kujur, Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha)	Kabirdham (Kawardha)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SAMANTRAY, Principal Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्रमांक 6683/1990/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री आनंद मोहन ठाकुर, अधिवक्ता, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर लोक अभियोजक, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) नियुक्त करता है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग नियमावली में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अंतर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्रमांक 6685/1990/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आनंद मोहन ठाकुर, अधिवक्ता, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर शासकीय अभिभाषक, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) नियुक्त करता है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग नियमावली में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अंतर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्रमांक 6567/2079/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री महेन्द्र कुमार जैन, नोटरी रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के स्वर्गवास होने के कारण उनका नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्रमांक 6595/2078/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री जितेन्द्र प्रसाद चौबे, नोटरी अभनपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के स्वर्गवास होने के कारण उनका नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2013

क्रमांक 6748/2401/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री पी. बी. गोस्वामी, नोटरी रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के स्वर्गवास होने के कारण उनका नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक 8998/2508/दो-गृह/बजट/2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) के तहत नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कॉलम नम्बर 4 की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कॉलम नम्बर 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

क्र.	थाना/चौकी का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	थाना चौकी का नाम जिसमें से अपवर्जित किया जाना है	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्रामों के नाम	पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		जिला कोरबा		
1.	थाना उरगा	थाना, तह. करतला, जिला कोरबा	चीतापाली	20
			दादरकला	22
			कापूपहरी	20
			सुपातराई	19
			चिकनीपाली	23
			लिमडीह	20
2	थाना कुसमण्डा	थाना कोतवाली, तह. कटघोरा, कोरबा	आमगांव	23
			नवागांव	18
		[illegible] तह. जि. कोरबा	[illegible]ता	23

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	चौकी हरदीबाजार	थाना दीपका, तह. कटघोरा, कोरबा	अमगांव	36
			रेकी	35
			सुआभेड़ी	13
		थाना कोतवाली, तह. कटघोरा, कोरबा	हरदीकला	25
			कन्हैयाभाठा	25
			सलोरा	25
			बरभाठा	25
			पण्डरीपानी	25
			गंगदेई	26
		थाना, तह. पाली, कोरबा	उतरदा	34
			सिरली	34
			बोईदा	33
			अंडीकछार	31
			चोढा	31
			रामपुर	32
			मुरली	32
			झांझ	33
			कसियाडीह	33
			ओझीआईन	32
4.	थाना कटघोरा	थाना, तह. पाली, कोरबा	रजकम्पा	01
			ठाढपखना	02
			भेलवाटिकरा	02
			कुटेलामुडा	01
			नवापारा	02
5.	थाना दीपका	थाना, तह. पाली, कोरबा	नोनबिर्रा	30
		थाना पाली, तह. कटघोरा, कोरबा	झालकछार	28
			बसंतपुर	28
			रंजना	28
		थाना, तह. पाली, कोरबा	रैनपुर	29
			लिटियाखार	28
			केराकछार	04
			मानिकपुर	04
			मांगामार	04
			पखनपारा	28
		थाना, तह. कटघोरा, कोरबा	कोलिहामुडा	04
			मुढाली	04
			डोंगरी	04
6.	थाना बांगो	थाना पसान, तह. पोडी उपरोड़ा, कोरबा	बेतलो	22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			तलमलीडांड	22
			बासीन	22
			सासीन	24
		थाना कटघोरा, तह. कोरबा, जिला कोरबा	कौडियाघाट	01
			पोण्डीखोहा	02
			तिलईडांड	01
		थाना कटघोरा, तह. पोड़ीउपरोड़ा, कोरबा	अटरौटी	26
			मनहोरा	26
			अमहवा	25
7.	थाना बांकीमोंगरा	थाना, तह. कटघोरा, कोरबा	ढपढप	06
			कसरेंगा	06
			सिंघाली	06
			जमुनीमुडा	14
8.	थाना बालको	थाना कटघोरा, तह. जि. कोरबा	अजगरबहार	01
			सरईसिंगार	01
			बिश्रामपुर	01
			गौरबौरा	01
			धनगांव	01
			नरबदा	01
			गडककटरा	01
			माखुरपानी	01

जिला बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	थाना कोनी, तह.- ज़ि. बिलासपुर.	थाना सरकण्डा, तह. जिला, बिलासपुर	तुर्काडीह	54
			लोखण्डी	54
			निरतू	53
			घुटकू	53
2.	थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर.	थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर	चोरभटठीकला	85
			खजुरी नवागांव	48
			काठाकोनी	
			बिनौरी	
			खजुरी	
		थाना हिर्री, तह. बिल्हा, बिलासपुर	सम्बलपुरी	40
			पांड	42
			छतौना	37
			बहतराई	
			रहंगी	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	थाना गौरेला	थाना मरवाही, जि. बिलासपुर	भस्कुरा	04
			पिपरिया	01
			तौली	01
			पडखुरी	01
			खैराझिटी	01
			झिरनापोडी	01
			दरमोहली	14
			झिरनापोडी	02
			बंधोरी	14
			नरोर	14
		जिला मुंगेली		
1.	थाना जरहागांव जिला मुंगेली.	थाना तखतपुर, जि. बिलासपुर	भथरी	37
			सेलहा बेलहा	38
			केशरूवाडीह	38
			अमलीकांपा	16
			परसाकांपा	16
			भिलाई	17
			अमोरा	17
			लाटा	17
		थाना लालपुर, जिला मुंगेली	भुसण्डी	35
			झझपुरी खुर्द	33
			पचोरिया	35
			तेलियापुरान	35
		जिला रायगढ़		
1.	थाना सिटी कोतवाली, रायगढ़.	थाना पूंजीपथरा, तह. तमनार, रायगढ़	लाखा न्यू लाखा	28
		जिला बस्तर जगदलपुर		
1.	थाना बोधघाट तह.- जगदलपुर बस्तर.	थाना फ्रेजरपुर परपा, तह. जगदलपुर बस्तर	नकटी सेमरा	09
2.	थाना कोतवाली, तह.- जगदलपुर, जिला- बस्तर.	थाना फ्रेजरपुर परपा, तह. जगदलपुर बस्तर	धुरगुडा, हाटगुडा	06
			हल्बाकचोरा,	10
			शासनकचोरा	
			मंगडूकचोरा	
3.	थाना बडांजी, तह.- लोहंडीगुड़ा बस्तर.	थाना फ्रेजरपुर परपा, तह. जगदलपुर बस्तर	घाटधनोरा	01
			टिकराधनोरा	
			घाटसरगीपाल	
			मरकापाल	
			कोण्डालूर	
			छिन्दबहार	
			तोतर	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			सोनारपाल तारागांव	02
4.	चौकी बस्तर, तह.- जगदलपुर बस्तर.	थाना फ्रेजरपुर परपा, तह. जगदलपुर बस्तर	घाटकवाली, चोकर भरनी, आडावाल	01 26
5.	चौकी बकावंड, तह.- जगदलपुर बस्तर.	थाना करपावंड, तह. जगदलपुर बस्तर	सवलावंड, छिनारी	15
6.	थाना, कोडेनार, तह.- तोकापाल, बस्तर.	थाना बडांजी, तह. लाहंडीगुडा बस्तर	बारूपाटा सालेपाल	14 13
7.	थाना तहसील कोण्डागांव, जिला बस्तर.	थाना भानपुरी, तह. जगदलपुर बस्तर	खडपडी, कोरमेल, परोदा, आदवाल घोडागांव माकड़ी कुलझर	45 29 30 19
8.	थाना माकड़ी, तह.- जि. कोण्डागांव.	थाना भानपुरी, तह. जगदलपुर बस्तर	तरईबेडा, ओढारगांव	20

जिला दंतेवाड़ा

1.	थाना कटेकल्याण	थाना दंतेवाड़ा	तोयलंका	08
2.	थाना बांगापाल जिला- बीजापुर.	थाना गीदम	नेलागौडा	05
3.	थाना कुआकोण्डा	थाना भांसी	खुटेपाल गंजेनार उदेला रेगानार	04 18 17 01
4.	थाना जगरगुण्डा	थाना अरनपुर	पुरंगेल	35
5.	थाना गादीरास	थाना अरनपुर	मूलेर डोगेरस चिरमुर पोरदेम मारोकी मुरकी	29 30 29 29 27 27
6.	थाना कटेकल्याण	थाना कुआकोण्डा	सूरनार	27
7.	थाना किरंदुल	थाना कुआंकोण्डा	टिकनपाल	32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	थाना दंतेवाड़ा	थाना कुंआकोण्डा	नेटापुर	12
			गदापाल	22
9.	थाना बांगापाल, जि.-बीजापुर.	थाना बारसूर	टहकवाया	02
			पहूरनार	02
			काउरगांव	03
10.	थाना ओरछा, जिला-नारायणपुर.	थाना बारसूर	हिकुल	13
			पिनकापाल	13
			परलनार	13
			हुरैवाडा	13
			मुरूमवाडा	13
			रोताड	13
			नेडूर	13
			तोयनार	13

जिला कोण्डागांव

1.	थाना तह. केशकाल, जिला कोण्डागांव.	थाना बिश्रामपुरी, तह. केशकाल, जिला कोण्डागांव	नालाझर	11
2.	थाना मर्दापाल, तह. जि. कोण्डागांव.	थाना बयानार, तह. कोण्डागांव	ऐहरा	35
			मलनार, हिमेनार, कोहकाडी, छोटेउसरी	
3.	थाना छोटेडोंगर, जिला-नारायणपुर.	थाना बयानार, तह. जिला कोण्डागांव	मदोडा, कीलम, बेचा, कडेनार	
4.	थाना फरसगांव, जि.-नारायणपुर.	थाना बयानार, तहसील जिला कोण्डागांव	दंडवन	
5.	थाना झारा, जिला-नारायणपुर.	थाना बयानार, तहसील जिला कोण्डागांव	आदपाल, बागझर, छिनारी, बैलापाड, छोटे फरसगांव	
6.	थाना भानपुर, जिला-बस्तर जगदलपुर.	थाना, तह. जि. कोण्डागांव	घोडगांव	29

जिला कांकेर

1.	थाना तह. चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर.	थाना कोरर, तह. कांकेर, जिला उ. ब. कांकेर	पदमपुर	05
			परसोदा	07
			किसनपुरी	07
			सेलेगोंदी	
			सेलेगांव	
			बैजनपुरी	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			नरसिहपुर	
			पंडरीपारा	
			डूमरकोट	
			जंवरतला	
			कांटागांव	
2.	थाना तह. भानुप्रतापपुर, जिला उ. ब. कांकेर.	थाना कोरर, तह. कांकेर, जि. उ. ब. कांकेर	बयानार	25
			भैसाकन्हार	25
			घोडदा	
			कनेचूर	26
			भोडिया	24
			बिरकोन्दल	25
			उच्चपानी	26
3.	थाना रावघाट तह.-भानुप्रतापपुर, जि.उ.ब. कांकेर.	थाना ताडोकी, तह. भानुप्रतापपुर, जि. उ. ब. कांकेर	ममता, साल्हेभाट	
			कोसरोण्डा	
4.	थाना बांदे, तह. पखांजूर, जि. उ. ब. कांकेर.	थाना कोयलीबेड़ा, तह. अंतागढ़, जि. उ. ब. कांकेर	हामोकला	
			गोमे	
			पालरहूर	
5.	थाना रावघाट, तह. भानुप्रतापपुर जि. उ. ब. कांकेर.	थाना कोयलीबेड़ा, तह. अंतागढ़, जि. उ. ब. कांकेर	हुरतराई	
			रेकाबेड़ा	
6.	थाना सिकसोड, तह.-अंतागढ़ जिला उ. ब. कांकेर.	थाना दुगूकोंदल, जि. उ. ब. कांकेर	वाटिनटोला	
			पाउरखेड़ा	
			कोपाकटैल	
			नेवारखेडा	
			तनतराई	
		थाना तह. अंतागढ़, जि. उ. ब. कांकेर	सुरेवाही,	
			नाथूगांवडेगांव	
			घूमर	
			छिदभाट	
			भैसासूर व उसके पारा	
			मंडागांव	
			कर्रेगांव	
			जेठेगांव	
			नवागढ़	
			आमोडी	
			आमाकोट	
			दूठापिपली	
			उमकी	
			लामन,	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		जिला बीजापुर		
1.	थाना तह. भैरमगढ़, जिला बीजापुर.	थाना कुटरू, तह. भैरमगढ़, जि. बीजापुर	गुण्डेकोट, रेखापाल	03
2.	थाना बेंदरे, तह. भैरमगढ़, जि. बीजापुर.	थाना कुटरू, तह. भैरमगढ़, जि. बीजापुर	मुरूमवाडा	
3.	थाना तोयनार, तह. जि.-बीजापुर.	थाना कुटरू, तह. भैरमगढ़, जि. बीजापुर	काकडमेटा	
4.	थाना कुटरू, तह. भैरमगढ़, जि. बीजापुर	थाना जांगला, तह. भैरमगढ़, जि. बीजापुर	दरभा	06
5.	थाना मोदकपाल, तह.-जि. बीजापुर.	थाना तह. जिला बीजापुर	गुडडीपाल, चिन्नाकोडेपाल	45
6.	थाना तोयनार तह.-जि. बीजापुर.	थाना तह. जिला बीजापुर	दुपेली	42

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 3-42/दो-गृह/बजट/2011.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) के तहत नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कॉलम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कॉलम नम्बर 4 की तत्संबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कॉलम नम्बर 2 में वर्णित बलौदाबाजार जिले के पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

क्र.	थाना/चौकी का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	थाना/चौकी का नाम जिसमें से अपवर्जित किया जाना है	स्थानीय क्षेत्र/ग्रामों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	थाना धनसीर	थाना राजादेवरी	छाता, बानीखार, निठोरा थरगांव, मानदीप, नगरदा, कुशभाठा, कुशगढ़, भानपुर, खैरा, सोनपुर, बरपानी एवं कलमीदादर
2.	चौकी सोनाखान	थाना राजादेवरी	सोनाखान, भुसडीपाली, महकम
3.	थाना राजादेवरी	थाना धनसीर	नगेड़ी, नगेड़ा, करमेल

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकडा, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 10-07/2013/16.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 3(1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य में स्थित उन समस्त औद्योगिक स्थापनाओं में जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है तथा जिनमें एक सौ या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों में किसी भी दिन नियोजित रहे हैं, को अपनी औद्योगिक स्थापनाओं में अधिनियम की धारा 3(1) (2) एवं छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद नियम 1957 के नियम 38 के अंतर्गत कर्म समिति गठित किये जाने का निर्देश देती है.

औद्योगिक स्थापनाओं के नियोजकों द्वारा कर्म समिति गठित की जाकर उसकी प्रतिलिपि श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर एवं संबंधित जिलों के सहायक श्रमायुक्तों एवं श्रम पदाधिकारियों को प्रेषित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

कार्यालय आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा
विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्रमांक 2270/वि-7/MGNREGA/2013.—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (2005 का सं. 42) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

1. योजना में, जहां कहीं भी अंक एवं शब्द "100 दिवस" आया हो के स्थान पर, अंक एवं शब्द "150 दिवस" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. पैरा 5.2 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
"5.2.1. वित्तीय वर्ष में 50 दिवस के अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा."

No. 2270/वि-7/MGNREGA/2013.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Rural Employment Guarantee Scheme, namely :—

AMENDMENT

In the said notification,—

1. In the scheme, for the figure and word "100 days" wherever they occur, the figure and word "150 days" shall be substituted.

2. After Para 5.2, the following shall be added, namely :—
"5.2.1. Additional cost for providing 50 days of additional employment in a financial year shall be borne by the State Government."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2013

क्रमांक 08/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	अकलतरी प.ह.नं. 9	2.31	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	अकलतरी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

क्रमांक 26/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	रामपुर प.ह.नं. 2	0.03	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	बिटकुली कबीरधाम जलाशय नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक 15/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	अमाली	5.275	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	लारीपारा व्यपवर्तन योजना शीर्ष निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक 5162/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	कांकेतरा प.ह.नं. 19	0.45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव.	गठुला - बोरी - बरगाही एनीकट कम कावेज के अंतर्गत बंड लाईन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक 5163/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	ढाबा प.ह.नं. 21	0.11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव.	गठुला - बोरी - बरगाही एनीकट कम कावेज के अंतर्गत बंड लाईन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 जुलाई 2013

क्रमांक 5164/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	गठुला प.ह.नं. 22	0.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव.	गठुला - बोरी - बरगाही एनीकट कम कावेज के अंतर्गत बंड लाईन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्रमांक/7539/भू-अर्जन/कले./2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	डूमरपानी	1.33	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, उत्तर बस्तर कांकेर.	बीरनपुर तालाब निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 25 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र./01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्गकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	कमलेश्वरपुर	1.558	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	रोपाखार जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 25 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	रोपाखार	0.105	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	रोपाखार जलाशय योजना के मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 25 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र./03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	मैनपाट	रोपाखार	0.546	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	रोपाखार जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	बनगांव (बी) प.ह.नं. 24	0.743	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	लोकेर जलाशय योजना की एल.बी.सी. शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	रेडे प.ह.नं. 28	1.059	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	लोकेर जलाशय योजना की दायीं तट शाखा नहर का अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पेमला प.ह.नं. 25	1.518	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	लोकेर जलाशय योजना की आर.बी.सी. शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पेमला-हर्राबिहार प.ह.नं. 24	1.038	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	लोकेर जलाशय योजना की आर.बी.सी. शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोज़न का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जमरगी (छोटा झिंगरेल) प.ह.नं. 24	1.659	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	लोकेर जलाशय योजना की दायीं तट शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/06/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	जमरगी प.ह.नं. 26	2.460	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	लोकेर जलाशय योजना की आर.बी.सी. शाखा नहर बड़ा झिंगरेल का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 अगस्त 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/07/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	लोकेर प.ह.नं. 24	1.061	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	लोकेर जलाशय योजना की आर.बी.सी. शाखा नहर का भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 4 जुलाई 2013

क्रमांक 03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	मर्राकोना प.ह.नं. 43	2.46	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	मर्राकोना एनीकट योजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), पथरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 4 जुलाई 2013

क्रमांक 04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	पथरिया	हथकेरा प.ह.नं. 26	0.63	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	पीपरलोड एनीकट योजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), पथरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 12 अगस्त 2013

भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ 82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	छतौना प.ह.नं. 37	1.695	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्र. 01, खरसिया.	साराडीह बैराज निर्माण योजना हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

गरियाबंद, दिनांक 2 अगस्त 2013

क्रमांक/क्र. अ.वि.अ./भू-अर्जन 13/अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	मैनपुर	उरमाल	3.05	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	उरमाल जल प्लावन योजना के शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, देवभोग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 18 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01 अ-82 वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-संगवाकापा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	21	0.07
योग	1	0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-संगवाकापा एनीकट के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 18 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04 अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-खैरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	212/2	0.75
योग	1	0.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खैरी एनीकट के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 18 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07 अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-मोहदी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.40 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	40/3	0.57
	41	0.26
	39/3	0.93
	36/1	0.07
	47/1	0.80
	47/2	0.50
	49	0.37
	66	0.16
	67	0.03
	68	0.57
	69	0.41
	61	0.17
	62	0.05
	63	0.21
	64	0.21
	65/1	0.35
	65/2	0.07
	65/6	0.33
	65/4	0.34
योग	19	6.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनियारी बैराज योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 18 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08 अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-रामगढ़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.74 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
346	0.74
योग 1	0.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुंगेली एनीकट के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 18 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11 अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
 (ख) तहसील- पथरिया
 (ग) नगर/ग्राम- छिन्दभोग
 (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.28 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
330/1	0.10
330/2	0.09
330/3	0.09
योग 3	0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छिन्दभोग एनीकट के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 18 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12 अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला मुंगेली (छ.ग.)
 (ख) तहसील-पथरिया
 (ग) नगर/ग्राम-सकेरी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.47 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
123, 124/1	0.09
125/2	0.02
125/4	0.05
125/5	0.016
125/6	0.05
128/4, 129/3, 130/3	0.10
योग 6	0.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छिन्दभोग एनीकट के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 26 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01 अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)

(ख) तहसील-पथरिया

(ग) नगर/ग्राम-गंगद्वारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.31 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	377	0.31
योग	1	0.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेसुवा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 26 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02 अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)

(ख) तहसील-पथरिया

(ग) नगर/ग्राम-कन्हरकापा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.50 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	38/1	0.48
	38/2	0.40
	39	0.08
	40/1	0.02
	40/2	0.02
	40/3	0.02
	41	0.04
	42	0.03
	125	0.41
योग	9	1.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनियारी बैराज योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 27 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1 अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)

(ख) तहसील-पथरिया

(ग) नगर/ग्राम-परसियां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.49 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
32	0.30
46	0.25
45	0.15
48	0.21
49	0.01
50	0.02

	(1)	(2)
	51	0.20
	52	0.10
	53	0.20
	58	0.40
	56	0.10
	64	0.10
	59/2	0.09
	60	0.10
	61	0.10
	87	0.20
	88	0.10
	84	0.10
	81	0.30
	77	0.82
	80	0.20
	75	0.44
योग	22	4.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनियारी बैराज योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 27 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05 अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-रामबोड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.47 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	443	0.86
	442/1	0.45
	441/2	0.30
	441/3	0.36
	446	0.74
	457	0.32
	458/4	0.35
	458/5	0.13
	456/3	0.59
	456/1	0.10
	459/1	0.57
	267	0.08
	274	0.91
	273	0.30
	272	0.26
	269/1, 2	0.26
	270	0.19
	271	0.40
	243/6	0.30
	243/5	0.20
	243/8	0.30
	243/7	0.30
	246/1, 2	0.25
	247	0.08
	250/1, 2	0.23
	252	0.22
	251	0.52
	429	0.90
योग	28	10.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनियारी बैराज योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 27 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09 अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
(ख) तहसील-पथरिया
(ग) नगर/ग्राम-टिकैतपेण्ड्री
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.11 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	365	0.27
	364	0.21
	366/1	0.02
	367	0.04
	368/1	1.30
	588	0.02
	381/1	0.02
	381/2	0.02
	382	0.05
	383, 384	0.19
	385/1	0.50
	387	0.12
	390, 392	0.73
	391/2	0.22
	393/2, 394/1	0.22
	393/3, 394/2	0.10
	393/4, 394/3	0.22
	377/1	0.01
	377/2	0.01
	377/3	0.01
	540	0.01
	542, 543	0.74
	544	0.08
	554	0.30
	555	0.28
	556	0.36
	553	1.06
योग	27	7.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनियारी बैराज योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 27 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10 अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
(ख) तहसील-पथरिया
(ग) नगर/ग्राम-लुकऊकापा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.09 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/1	1.18
1/2	0.55
5	3.09
13	0.36
10	0.34
8	0.30
9/1	0.12
2/1	0.13

(1)	(2)
3/2	0.02
योग 9	6.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--मनियारी बैराज योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 27 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13 अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बिरकोनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-35.87 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
11/1	0.05
11/3	0.60
11/2	0.88
12	0.13
18	0.37
19	0.12
339	2.71
338	1.60
302	0.17
20	0.02
23/1	1.02
24/11	0.42
23/2	0.52
326/3	0.55
24/1	0.14
24/2	1.04
24/6	0.06
24/5	1.28
308/3	0.02
24/10	0.17
25	0.08
27/2	0.39
27/1	0.39
33	0.25
34	0.95
35/2	0.50
36	0.25
37/1	0.26
32/5	0.60
32/3	0.08
32/2	0.80
30	0.08
31	0.20
247/5	0.88
245	0.34
246/2	0.90
246/1	0.17
247/2	0.80
249	0.15
250	1.76
251	1.60
252	1.80
254	0.25
372/1	0.01
372/2	0.74
372/3	0.76
372/4	0.10
341	0.84
340	0.02
335/1	0.15
344/8	0.04
337	0.13
331/1	0.28
331/2	0.40
332/2	0.26
332/1	0.28
333/1	0.24
333/2	0.26

	(1)	(2)
	329/3	0.95
	329/2	0.49
	328/2	0.30
	326/1	0.50
	327	0.25
	326/4	0.35
	301/2	0.45
	328/1	0.25
	305/3	0.72
	305/2	0.74
	305/1	0.75
	17/1	0.26
योग	70	35.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मनियारी बैराज योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 27 जुलाई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14 अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली (छ.ग.)
- (ख) तहसील पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम दौना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.46 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	547/3	0.18
	547/2	0.17
	547/1	0.45
	549/1	0.03
	548	0.18
	549/3	0.45
योग	6	1.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनियारी बैराज योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 15th July 2013

No. 394/Confdl./2013/II-1-1/2000.-- Hon'ble Shri Justice G. Minhajuddin, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur has demitted the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh on 11-07-2013 on attaining the age of 62 years.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
ASHOK PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 16th July 2013

No. 509/L.G./2013/II-3-06/2006.—Shri R. K. Rathi, the then Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 08 days from 02-05-2013 to 09-05-2013.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rathi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 221 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 16th July 2013

No. 510/L.G./2013/II-2-20/2005.—Shri M. P. Singhal, District & Sessions Judge, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 01 day on 29-12-2012 & suffix holiday of 30-12-2012 (Sunday) in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters from 23-12-2012 till 30-12-2012 (23rd December, 2012 is holiday on account of Sunday), earned leave for 03 days from 25-04-2013 to 27-04-2013 & permission to suffix holiday of 28th April, 2013 (Sunday) along with permission to remain out of headquarters from 25-04-2013 till 28-04-2013 and earned leave for 07 days from 06-05-2013 to 12-05-2013 and permission to prefix holiday of 05th May, 2013 (Sunday).

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Singhal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 282 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 25th July 2013

No. 515/L.G./2013/II-2-18/2006.—Shri Ganpat Rao, District & Sessions Judge, Jashpur is hereby, granted earned leave for 05 days from 08-07-2013 to 12-07-2013 and permission to prefix holiday of 07-07-2013 (Sunday) & suffix holiday of 13-07-2013 & 14-07-2013 (02nd Saturday & Sunday) along with permission to remain out of headquarters after the court hours of 06-07-2013 till before the court hours of 15 07-2013.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rao, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+10 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (Admn.).